



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ, 1943 (श०)

संख्या -16 राँची, सोमवार,

24 जनवरी, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2022

अधि०सं०-परि०वि०-174/09-51--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक सह-पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 (अद्यतन संशोधित) में संशोधन करने के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

**झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन)
नियमावली, 2021**

1- नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- (i) यह नियमावली “झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021” कही जाएगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 में अधिसूचित प्रावधानों के आलोक में झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 को निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

(क) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 (अद्यतन संशोधित) के भाग-2 के नियम-4 (i) एवं (ii) को विलोपित कर निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास ; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ; ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) या यांत्रिक इंजीनियरिंग में कोई	“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक/ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि । यांत्रिक/ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे । उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों

डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) या ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में उच्चतर योग्यता ;	को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा । परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।“
--	--

(ख) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 के भाग-3 के नियम-13 को विलोपित कर निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन (कोटिवार न्यूनतम अहर्ताक, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम)						
लिखित परीक्षा :- लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी जो निम्नवत होंगे:- (i) सामान्य ज्ञान : अवधि 1 घंटा : कुल अंक : 50 सामान्य ज्ञान विषय में देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं, झारखण्ड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, मोटरवाहन एक्ट/मोटरवाहन रूल्स से संबंधित तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातें सम्मिलित होगी, जिसके ज्ञान की किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । (ii) ऑटोमोबाइल अभियंत्रण या मेकेनिकल	(I) इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अहर्ताक (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित) निम्नवत् निर्धारित रहेगा :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>कोटि</th><th>न्यूनतम अहर्ताक</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अनारक्षित</td><td>40 प्रतिशत</td></tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला</td><td>32 प्रतिशत</td></tr> </tbody> </table>	कोटि	न्यूनतम अहर्ताक	अनारक्षित	40 प्रतिशत	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत
कोटि	न्यूनतम अहर्ताक						
अनारक्षित	40 प्रतिशत						
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला	32 प्रतिशत						

अभियंत्रण के विषयों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। अवधि 2 घंटा कुल अंक: 100 ऑटोमोबाइल अभियंत्रण या मेकेनिकल अभियंत्रण से संबंधित विषयों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे। (iii) गणित : अवधि 1 घंटा कुल अंक : 50 प्रश्न पत्र इस प्रकार निरूपित किया जायेगा जिससे अभ्यर्थी की गणितीय ज्ञान एवं क्षमता का पता चल सके। प्रश्न-पत्र का स्तर मैट्रिक स्तर का होगा। सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर-1 के लिए 34 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 प्रतिशत न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)	34 प्रतिशत
	पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)	36.5 प्रतिशत
	आदिम जनजाति समूह	30 प्रतिशत
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

(II) परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :-

मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता के परीक्षा का संचालन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 यथासंशोधित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के आलोक में की जाएगी।

(ग) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 के भाग-3 के नियम-14 को विलोपित कर निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापन
आयोग द्वारा अनुशंसा- लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग एक मेधा सूची तैयार करेगा। मेधा सूची का आधार लिखित परीक्षा में प्राप्तांक होगा। तत्पश्चात आयोग रिक्तियों की संख्या और आरक्षण अनुरूप कोटि-वार अंतिम मेधा सूची तैयार कर, अधिवाचित संख्या के अनुसार उतनी संख्या में नियुक्ति हेतु पदाधिकारियों की सूची अग्रसारित करेगा जितनी संख्या में उनकी माँग की गई हो।	“आयोग द्वारा अनुशंसा :- मुख्य परीक्षा के आधार पर आयोग एक मेधा सूची तैयार करेगा। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके डिप्लोमा/तकनीकी/अन्य विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् डिप्लोमा/तकनीकी/अन्य विशिष्ट योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।”

3- उपरोक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक-1203, दिनांक-20.12.2021 के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-19.01.2022 (मद सं0-18) द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।
परिवहन विभाग।
